UPMH010060942025

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–2, महराजगंज
उपस्थितः श्री ज्ञानेन्द्र राव, एच0जे0एस0 (यूपी 06294)

फौजदारी निगरानी संख्या–291/2025

1–अमरेन्द्र उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र रामप्रवेश।

2–ऋषिकेश उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र रामप्रवेश।

3–रामप्रवेश उम्र करीब 48 वर्ष पुत्र शंकर।

4–मंसूदी उम्र करीब 42 वर्ष पुत्र शंकर।

साकिनान मौजा निपनिया, थाना कोठीभार, जनपद महराजगंज।

.....निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण

बनाम

1–उत्तर प्रदेश सरकार।

2–अर्जुन उम्र करीब 44 वर्ष पुत्र मिश्री।

साकिन मौजा निपनिया, थाना कोठीभार, जनपद महराजगंज।

.....विपक्षीगण

निर्णय

01– यह फौजदारी निगरानी विद्वान अपर सिविल जज, अवर खण्ड, कोर्ट संख्या–03/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा परिवाद संख्या–20029/2024 अर्जुन बनाम अमरेन्द्र व अन्य, थाना कोठीभार, जनपद महराजगंज में पारित तलबी आदेश दिनांक 14.10.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

02– निगरानी हेतु आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी अर्जुन की ओर से विद्वान अपर सिविल जज, अवर खण्ड, कोर्ट संख्या–03/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज के समक्ष इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी अमरेन्द्र अक्सर परिवादी को गाली व जान से मारने की धमकी देता रहता है। दिनांक 31.10.2024 समय करीब 6.30 बजे दीपावली के अवसर पर बच्चे

पटाखा जला रहे थे, जिसकी आवाज सुनकर अमरेन्द्र व ऋषिकेश, रामप्रेवश तथा मंसूदी नाराज होकर परिवादी के दरवाजे पर आकर भद्दी भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी देने लगे। परिवादी द्वारा मना करने पर विपक्षीगण उसे मारने के लिए दौड़ा लिये और घर में घुसकर उसे जमीन पर पटककर लात मुक्का झापड़ से मारने पीटने लगे, शोर पर चन्द्रिका व छोटकन व अन्य बहुत से लोग आ गये, जिन्होने घटना को देखा और बीच बचाव किये। घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दिया कोई कार्यवाही न होने पर सूचना जरिए पंजीकृत डाक पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को दिया, वहां से भी कोई कार्यवाही न होने पर प्रश्नगत परिवाद दाखिल किया गया।

03– परिवादी ने विद्वान अपर सिविल जज, अवर खण्ड, कोर्ट संख्या–03/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज के समक्ष अपना बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस तथा पी0डब्ल्यू–1 व पी0डब्ल्यू–2 का बयान अन्तर्गत धारा 225 बी.एन.एस.एस दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज कराया तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज, (अवर खण्ड), महराजगंज द्वारा आक्षेपित तलबी आदेश पारित किया।

04– निगरानी याचिका में यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–14.10.2025 कानूनन पोषणीय नहीं है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक–14.10.2025 पारित करते समय पत्रावली का सम्यक परिशीलन नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विधि का ध्यान न रखते हुए सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश दिनांकित–14.10.2025 पारित किया गया है। सत्यता यह है कि दिनांक–31.10.2024 को अर्जुन पुत्र मिश्री, कमलेश पुत्र रामलखन, राजेश पुत्र खेदन, चन्दन पुत्र रामकिशुन, निवासी मौजा गौरा निपनियां, थाना कोठीभार, जनपद–महराजगंज ने मिलकर निगरानीकर्ता संख्या–03 रामप्रवेश के दरवाजे पर पड़ाका फोड़ रहे थे, जिस पर प्रार्थी संख्या–03 रामप्रवेश ने मना किया कि थोड़ा दूर जाकर पड़का पड़काओं इसी बात से नाराज होकर उक्त सभी लोग गाली गुप्ता देने लगे, जिसका विरोध करने पर उपरोक्त चारों लोग लात मुक्का लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे, जिससे रामप्रवेश के भाई कमलश का काफी चोटें आयी जाते समय उपरोक्त चारों लोग कहने लगे कि आज तो छोड़ दिया हूँ, दुबारा मिले तो हत्या

कर दूंगा और हरिजन उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज करा दुगा जिससे प्रार्थी संख्या–03 रामप्रवेश काफी डरा और सहमा रहा तथा थाना स्थानीय पर प्रार्थना–पत्र दिया, जिसपर उक्त चारों लोगों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–405/2024, अन्तर्गत धारा–115(2),352,351(3) बी.एन.एस सरकार बनाम अर्जुन वगैरह, थाना कोठीभार, जनपद महराजगंज पर दर्ज हुआ है। विपक्षी संख्या–02 एवं उसके परिवार के लोग उक्त मुकदमें में सुलह हेतु दबाव बनाने लगे जिसपर प्रार्थीगण सुलह करने से मना कर दिए तो विपक्षी संख्या–2 द्वारा उक्त अपराध संख्या–405/2024 की कार्यवाही से बचने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण पर दबाव बनाने के लिए परिवाद–पत्र संस्थित किया गया है, बाद जानकारी प्रार्थीगण विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति भी दिनांक–30.01.2025 को संस्थित कर दिए है, जिसका तनिक भी संज्ञान विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया तथा सरसरी तौर पर आलोच्य आदेश दिनांकित–14.10.2025 पारित कर दिया गया है, जो हर हाल में निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी संख्या–1, 2 व 4 परिवाद–पत्र में वर्णित मामले में बीच बचाव किए थे लेकिन विपक्षी संख्या–2 द्वारा मनगढ़न्त कहानी बनाकर झूठे एवं असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थी संख्या–1, 2 एवं 4 का भी नाम सम्पृक्त कर दिया गया है, जबकि प्रार्थीगण परिवाद–पत्र में संलग्न आपत्ति में इसका जिक किए है, जिसका तनिक भी संज्ञान विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया और सरसरी तौर पर आलोच्य आदेश दिनांकित–14.10.2025 पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–14.10.2025 हर हाल में निरस्त होने योग्य है। निवेदन किया गया है आलोच्य आदेश दिनांक 14.10.2025 निरस्त किया जाए।

05– निगरानी अंगीकृत होने के उपरान्त प्रत्यर्थी संख्या 02 को नोटिस जारी की गयी, वह उपस्थित आया और अपना वकालतनामा दाखिल किया उसके उपरान्त पक्षकारगण द्वारा पैरवी नहीं की जा रही है। चूँकि निगरानी विधि के प्रश्न पर सुनवाई हेतु अंगीकृत की जा चुकी है। अतः अभिलेखों का अवलोकन व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को के अनुसार निगरानी का निस्तारण किया जा रहा है।

06– विद्वान विचारण न्यायालय विद्वान अपर सिविल जज, अवर खण्ड, कोर्ट

संख्या–03/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज ने अपने आक्षेपित तलबी आदेश में उल्लेख किया है कि ''प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि दिनांक 31.10.2024 शाम को 6.00 बजे घर के बच्चे पटाखा जला रहे थे। रामप्रवेश, मंसूदी, ऋषिकेश, अमरेन्द्र गाली देने लगे और मारने पीटने लगे। जब मैं जान बचाकर घर में भागा तो उक्त लोग घर में घुसकर मारे पीटे तथा जान से मारने की धमकी भी दिये। साक्षीगण पी0डब्ल्यू–01 छोटकन एवं पी0डब्ल्यू–02 चन्द्रिका के सशपथ बयान अन्तर्गत धारा–225 बी.एन.एस.एस. में परिवाद कथानक समर्थन किया है। परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों, परिवादी के सशपथ बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. एवं साक्षीगण पी0डब्ल्यू–01 छोटकन एवं पी0डब्ल्यू–02 चन्द्रिका के सशपथ बयान अन्तर्गत धारा–225 बी.एन.एस.एस. का अवलोकन किया। परिवादी ने अपने बयान में यह कथन किया है कि विपक्षीगण उसे और उसके लड़के व भतीजे को गाली गुप्ता देते हुए मारेपीटे और जान से मारने की धमकी दिये।'' उक्त तर्क देते हुए अभियुक्तगण अमरेन्द्र, ऋषिकेश, रामप्रवेश व मंसूदी को धारा–115,352,351(2) बी.एन.एस. के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया।

07– इस निगरानी के निस्तारण हेतु आवश्यक अवधारणीय बिन्दु यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय विद्वान अपर सिविल जज, अवर खण्ड, कोर्ट संख्या–03/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा आक्षेपित तलबी आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है अथवा अपने क्षेत्राधिकार का अनुचित प्रयोग किया गया है?

08– यह सुस्थापित है कि परिवाद के मामलों में अभियुक्त को तलब किये जाने के पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है अथवा नही और इस हेतु मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षित नही है कि वह धारा–200 व 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता (परिवर्तित धारा–223 व 225 बी.एन.एस.एस) में दिये गये बयान की त्रुटियों का आकलन करे।

09– विधि व्यवस्था **भूषण कुमार व अन्य बनाम एन.सी.टी. दिल्ली, ए.आई.आर. 2012 एस.सी 1747 में** माननीय उच्चतम न्यायालय यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा–204 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्तगण की तलबी हेतु विस्तृत

कारण देते हुए आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त में तलबी आदेश पारित करने का कारण अंकित किया गया है, तो, ऐसे आदेश को सही माना जायेगा। इस मामले में भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को तलब न करने का कारण अंकित किया गया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने का कारण नहीं लिखा गया है। इसी प्रकार विधि व्यवस्था **मेसर्स सोनिया गोविन्द गिरवानी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013 (83) ए.सी.सी 312 इलाहाबाद,** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि परिवाद में तलबी आदेश पारित करते समय विस्तृत आदेश व कारण की आवश्यकता नहीं है, यदि संक्षिप्त में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कारण अंकित किया गया है, तो यह माना जायेगा कि आदेशिका जारी करने व संज्ञान लेने हेतु उनके द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकनोपरान्त संक्षिप्त कारण व्यक्त करते हुए आदेश पारित किया गया है, ऐसा आदेश विधिक है। विधि व्यवस्था **अंकित कपूर बनाम रमेश चन्द्र (2012) 9 एस.सी. सी. 460** व **जसपाल सिंह कौरल बनाम एन.सी.टी. दिल्ली राज्य (2025) 5 एस.सी. सी 756** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार धारा–397 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अत्यन्त ही सीमित है एवं उसके द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की वैधता व क्षेत्राधिकार ही देखा जाना चाहिए, किसी साक्ष्य पर क्या विचार व्यक्त किया गया है, इस पर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं देखा जाना है। यह केवल न्यायालय की प्रक्रिया में दुरूपयोग को रोकने के लिए एवं न्याय की पूर्ति के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इस मामले में भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा संक्षिप्त कारण स्पष्ट करते हुए आदेश पारित किया गया है जो कि विधिक सही है, इसमें पुनरीक्षण न्यायालय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उपरोक्त विधि व्यवस्था इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में लागू होती है।

10– उपरोक्त विश्लेषणोपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है, कि विद्वान विचारण न्यायालय विद्वान अपर सिविल जज, अवर खण्ड, कोर्ट संख्या–03/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.10.2025 में विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक विश्लेषण करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांकित 14.10.2025 में क्षेत्राधिकार विधिक त्रुटि नहीं है और न ही कोई तात्विक अनियमितता कारित की गयी है और न ही

क्षेत्राधिकार से परे जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्त्री की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

11– फौजदारी निगरानी संख्या–291/2025, अमरेन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निरस्त की जाती है। विद्वान अपर सिविल जज, अवर खण्ड, कोर्ट संख्या–03/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14.10.2025 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि सम्बन्धित न्यायालय को संप्रेषित किया जाये।

निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 27.08.2026

(ज्ञानेन्द्र राव)
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6294
अपर सेशन न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–02, महराजगंज।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करते हुए घोषित किया गया।

दिनांकः 27.08.2026

(ज्ञानेन्द्र राव)
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6294
अपर सेशन न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–02, महराजगंज।